कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नगर पालिका परिषद, जौनपुर विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली उपविधि 2014 की धारा (8) के अनुसार अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में आवंटन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1-अधिशासी अधिकारी	-	अध्यक्ष
2-श्री ओम प्रकाश यादव,कर-अधीक्षक,प्रभारी यातायात	-	सदस्य
3-श्री एस0एन0राय, अवर-अभियंता (सिविल)	-	सदस्य
4-श्री अरविन्द यादव, राजस्व लिपिक, विज्ञापन पट्ट प्रभारी	-	सदस्य / सचिव

समिति द्वारा उपविधि प्रदत्त कर्तब्यों के सम्यक अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

संख्या- 1599/धारा- (1679 दिनांक- 2-9-15

प्रतिलिपि, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,जौनपुर।

E:\Rent\Letter.doc

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांक– 1600/वि०प०/2015-16 दिनांक– 8-9-15

वर्ष 2015–16 अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए उसके आकार, ऊचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चत करने के लिए निम्न प्रकार समिति का गठन जाता है:–

1–अधिशासी अधिकारी	–अध्यक्ष
2–नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी	–सदस्य
3–परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	–सदस्य
4–अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	–सदस्य
5–नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अधिकारी	–सदस्य
6–परिवहन विभाग का एक अधिकारी	–सदस्य
7–प्रभारी विनियमित क्षेत्र	–सदस्य
8–उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	–सदस्य
9–भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	–सदस्य

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,जौनपुर।

पत्रांक– दिनांक–

प्रतिलिपि, उपरोक्तानुसार समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
जौनपुर

E:\Rent\Letter.doc

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, जौनपुर

13 जुलाई, 2015 ई0

सं0 1377/पांच-राजस्व-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची प्रथम के शीर्षक (ज) के खण्ड (च) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, जौनपुर "विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि 2014" बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार दिनांक 05 जुलाई, 2014 को दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक मान्यवर" में प्रकाशित कराया जा चुका है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड की बैठक दिनांक 15 मई, 2015 में संकल्प संख्या 07 पारित कर उपविधि को सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू होगी।

विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि, 2014

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जौनपुर विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि, 2014 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, जौनपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने का दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

[एक] "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ;

[दो] "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पटट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या रोवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है ;

[तीन] "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पटट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

[चार] "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है ;

[पांच] "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो ;

[छः] "पताका" (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं ;

[सात] "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता है ;

[आठ] "नगरपालिका" से तात्पर्य यथा स्थित नगरपालिका परिषद्, जौनपुर से है ;

[नौ] "विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जो, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं ;

[दस] "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ा या विज्ञापन पटट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो ;

[ग्यारह] "प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो ;

[बारह] "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो ;

अनुसूची–2
(नियम 5(1) देखें)
विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1– भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़को पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रर्दशन के लियें–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रंवर श्रेणी	रू0 1200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रू0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रू0 480 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2–यदिं इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट विद्युत अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबम्बित हों तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होगी।

3–(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/प्रति वर्ष
हल्का वाहन	रू0 3000 प्रति वर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रू0 12000 प्रति वर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर–

	देय वार्षिक कर कर प्रतिवाहन/प्रति वर्ष
(1) तीन पहिया	रू0 20 प्रति दिन
(2) चार पहिया	रू0 300 प्रति दिन
(3) छः पहिया	रू0 600 प्रति दिन

4– विद्युत तथा अन्य खम्भो पर विज्ञापन पटटः–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रू0 1800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रू0 1200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रू0 900 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रू0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

5– पोस्टर रू0 180 (प्रति सैकडा)

6– परचा रू0 360 (प्रति सैकडा)

7– पताका (बैनर) रू0 60 (प्रति सैकडा)

...अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
जौनपुर

8. विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्त/परिवर्तनशील संदेश चिन्हो सहित प्रदीप्त चिन्ह–

वर्गीकरण	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रू0 720 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

9. गुब्बारे	रू0 300 प्रतिदिन
10. छतरी	रू0 300 प्रतिदिन
11. एक स्तम्भ	रू0 उपर्युक्त मद 1 के अनुसार
12. अन्य प्रकार के विज्ञापन	रू0 उपर्युक्त मद 4 के अनुसार

स्पष्टीकरणः

1. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
2. स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।
3. कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नहीं होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।
5. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी (नगरपालिका परिषद, जौनपुर) निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में वसूला जायेगा।
6. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय 6 के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
जौनपुर।

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
जौनपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद

प्रपत्र संख्या..............................

मूल्य रू0..................................

अनुसूची–1

(नियम 5 (1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1–आवेदक / विज्ञापनकर्ता का नाम..

2–अभिकरण / प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम......................................

3–पता..

4–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार...

5–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार...

6–स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति...

7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम..

8–क्या वह सार्वजनिक स्थल है या ब्यक्तिगत भूमि या भवन है ?

9–(एक) यदि ब्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन–पत्र कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय कर के भुगतान का दायी होगा–संलग्न करें।

(तीन) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा अनुमोदित संरचना अभियंता द्वारा दिया गया क्षमता वार्षिक कर।

10–(एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर

11–(दो) किश्त की धनराशि...

संलग्नक..

दिनांक..

आवेदक का हस्ताक्षर

2014-15
2015-16.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

संख्या–

दिनांक–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) और धारा 298 की उपधारा (2) की सूची प्रथम के शीर्षक (ज) के खण्ड (च) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद, जौनपुर "विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि 2014" बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार दिनांक 05.07.2014 को दैनिक समाचार पत्र **"दैनिक मान्यवर"** में प्रकाशित कराया जा चुका है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड की बैठक दिनांक 15.05.2015 में संकल्प सं0 07 पारित कर उपविधि को सर्व–सम्मति से स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है जो दिनांक 01.04.2015 से लागू होगी।

विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली उपविधि 2014

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, जौनपुर विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2014 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, जौनपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट उपविधि में प्रकाशित होने की दिनांक 01.04.2015 से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें

(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है,

(दो) "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे ब्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने,प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे ब्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये य जनता को किसी स्थान,ब्यक्ति,लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और द्वारों के बाहर किसी भी रीति,जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूनि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(चार) "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से

विज्ञापन करने से है;

(पाँच) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी विन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(छः) "पताका" (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

(सात) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो।

(आठ) "नगर पालिका" से तात्पर्य यथा स्थिति नगर पालिका परिषद,जौनपुर से है;

(नौ) "विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(दस) "भू–विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

(ग्यारह) "प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(बारह) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;

(तेरह) "प्रक्षेपित विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(चौदह) "मार्गाधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(पन्द्रह) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(सोलह) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

(सत्रह) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो

(अठारह) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है;

उन्नीस "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वॉछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास,कपड़े या किसी संरचनात्मक ढॉचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(बीस) " बराण्डा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है;

(इक्कीस) सचल विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

3. स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए नगर पालिका में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक)	अधिशासी अधिकारी	-अध्यक्ष
(दो)	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी	-सदस्य
(तीन)	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	-सदस्य
(चार)	अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग	-सदस्य
(पॉच)	नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	-सदस्य
(छः)	परिवहवन विभाग का एक अधिकारी	-सदस्य
(सात)	प्रभारी विनियमित क्षेत्र	-सदस्य
(आठ)	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	-सदस्य
(नौ)	भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	-सदस्य

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4. प्रतिषेध

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भवन,पुल,मार्ग,फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वारा, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले

ब्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई ब्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य ब्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने,लिखने,चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई ब्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5. अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करके नगर पालिका के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या सम्बन्धित निकाय के वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहॉ ऐसी भूमि भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना,चिपकाना वॉछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:–

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊॅचाई और भार को दर्शाते हुए पूर्ण विशिष्टियॉ, अवस्थिति जहॉ इसे विनिर्मित किया जाना है, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता और जहॉ प्रयोज्य हो वहॉ प्रकाश पुंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण, ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थिति मानचित्र से संलग्न होगा।

(ख) पूर्ववर्ती के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी;

(ग) कोई अन्य विशिष्टियॉ जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वॉछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–4 "संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव" के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिवकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी ब्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई ब्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रखरखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6. अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने,संप्रदर्शित करने, लगाने,चिपकाने,लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 6 मीटर जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी;

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा;

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

(ज) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, सायकिल वालों के लिये स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं

होना चाहिए।

(ठ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ड) विज्ञापनों को वृक्षों को या काष्ठमय पेड़ पौधों में गाड़ा, बॉधा नहीं जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकरी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा:–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भी भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जात है।

(ख) यदि कोई परिवर्धन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है, और यदि ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का ब्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है;

7. प्रीमियम

(1) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर प्रत्येक स्थल के न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम 7 दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए;

8. आवंटन समिति

(1) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जौनपुर की अध्यक्षता में निकाय में एक आंवटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें।

(एक) निकाय में यातायात का प्रभारी – सदस्य

(दो) निकाय से सम्बन्धित नगर अभियन्ता– सदस्य

(तीन) निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी – सदस्य सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों निविदाओं, प्रस्तावो की संवीक्षा करेगी तदनुसार अनुमोदित करेगी।

(3) देय कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगरपालिका परिषद जौनपुर को अनुमोदित प्रिमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संमप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भो या की ट्रीगार्ड या चहार दीवारी पर सप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रिमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेह होगी।

9. आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्मनिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृति किया जा सकता है:–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तरविष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, धृणास्पद, विभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के ब्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो जैसा कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर की राय में, उसमें किसी पडोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पडने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमे आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखा चित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा

उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10. अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिटे विधि सम्मत होगा;–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

11. अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांव्क से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12. विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है,संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है,लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है;

(एक)ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का ब्यय और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडंडी/यातायात

संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13. विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा; यदि–

(एक) यह आकार में 12.2मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(चार) नियम–3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये अनुपयुक्त हो;

(पॉच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हों,

(आठ) ऐसा स्थल जो नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी:–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुॅचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दॉयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर;

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के

विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(पॉच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हो;

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगीः–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो;

(तीन)विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो;

14. छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के संबंध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है;

(2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुए, किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊॅचाई, ऐसे भवन की ऊॅचाई की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

15. विज्ञापन पट्टों के प्रकार

विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार क हैं:–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन

(ख) भू–विज्ञापन

(ग)छत विज्ञापन

(घ) बरामदा विज्ञापन

(ङ) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन
(झ) पताका/झण्डी विज्ञापन
(ञ) शामियाना विज्ञापन
(ट) गुब्बारा विज्ञापन
(ठ) अस्थायी विज्ञापन
(ड) सचल (मोबाइल) विज्ञापन
(ढ) विविध विज्ञापन

16. दुकानों पर विज्ञापन

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर स्टीकर चस्पा करके पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक, लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जाये तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन कराधेय होगी।

17. मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन,
(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन,
(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन,
(4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड,
(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियॉ,
(6) वृक्ष रक्षक
(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स

18. छूट

(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी:–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम

व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पटट, परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर X0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पटट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मंनोरजंन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश

(आठ)राजमार्ग विज्ञापन पट्ट

19. अस्थायी विज्ञापन

(1) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जौनपुर उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तो पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगने चस्पा, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तकम के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेत्तर अवधि के लिए हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहियें।

20. विशेष नियंत्रण का क्षेत्र

(1) जब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विपरीत होने की सम्भावना हो तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्को और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम(1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र

के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर द्वारा आवश्यक समझा जाय। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुरनिकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आषय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जौनपुर। को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वैलर्स" "कैफे" "डांसिग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से 30 मीटर की दूरी के भीतर, उपनियम (3) में दिये गये के सिवाय समान्तयः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही होगा।

21. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पटटो का परिनिर्माण, प्रर्दशन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करे।

22. झण्डियों पर रोक

(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जौनपुर से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रर्दशन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा, निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वार निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबन्धो का उल्लघंन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी शास्ति दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डी 200 रूपये से कम नही होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जौनपुर इस

नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनिष्ट कर सकता है।

23. अनुरक्षण और निरीक्षण

(1) **अनुरक्षण**– सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बो, बन्धनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामाग्री से निर्मित नहीं होगें तो उन पर मोंचा लगने से रोकने के लिए रंग–रोंगन किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तब्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण**–प्रत्येक विज्ञापन जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और विज्ञापन विद्यमान जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येंक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

24. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद जौनपुर इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायको या श्रमिको के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उसपर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नही किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

25. कर का भुगतान की रीति

अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किश्त में संदेह होगा और जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक कोई विज्ञापन पटट या विज्ञापन परिनिर्मित नही किया जायेगा।

26. क्षेत्रों का वर्गीकरण

विज्ञापनो पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

27. विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत

नियम–10 के उपनियम(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निकाय द्वारा नियत की जायेगी।

28. अपराधो के लिए दण्ड

(1) इस उपविधि के उपबन्धो का किसी प्रकार का उल्लधंन ऐसे जुर्माने से जो 5000 रूपया तक हो सकता है और

और उनका प्रशमन

उल्लधंन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लधंन की दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लधंन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो 500 रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

प्रपत्र सं0......................

मूल्य रू0 50/–

अनुसूची–1

(नियम 5 (1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1. आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम..
2. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम............................
3. पता...
4. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार..................................
5. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार...
6. स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति...
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम..............................
8. क्या वह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?
9. (एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।

   (दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि चूक की दशा`मं वह विज्ञापनकर्ता को देयकर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

   (तीन) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जौनपुर द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता वार्षिक कर
10. (एक) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर
11. (दो) किश्त की धनराशि...

....

....

संलग्नक.........................

दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर